



UPGK010002712024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

आपराधिक प्रकीर्णवाद सं०-06/2024

सरकार.....बनाम.....लालजी पासवान

धारा- 344 द०प्र०सं०

थाना-पीपीगंज, जिला गोरखपुर।

दिनांक-14.03.2026

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

पूर्व नियत तिथित पर अभियुक्त लालजी पासवान द्वारा प्रार्थना पत्र कागज सं०-7ख प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार किया है। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 344 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को मु० 500/- (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त लालजी पासवान को धारा 344 द०प्र०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए मु० 500/- (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का कारावास भुगतना होगा।

(राज कुमार सिंह)

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code-UP1889